कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2014 में प्रारम्भ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करना था। इसके प्रमुख घटकों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों का संवर्धन, तथा वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सम्मिलित थी। इस योजना ने अपने ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लक्ष्यों को भी समाहित कर लिया था।

अक्टूबर 2017 में प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सर्वव्यापी घरेलू विद्युतीकरण पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना, सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना एवं आर्थिक रूप से गरीब शहरी परिवारों को जोड़ना था।

उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अन्तर्गत पाँच राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (वितरण कम्पनियाँ) में से चार विद्युत वितरण कम्पनियों के माध्यम से कार्यान्वित की गईं।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत सभी गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिसमें कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के साथ उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन तथा वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग सम्मिलित थी। इसने यह भी जाँचा कि क्या आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और निःशुल्क विद्युत संयोजन प्रदान करके एवं सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, एसपीवी आधारित एकल प्रणाली स्थापित करके, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह आकलन किया कि क्या ऊर्जा से संयोजित परिवार विद्युत का उपयोग करने और योजनाओं के अभीष्ट लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे।

इस लेखापरीक्षा में क्या सम्मिलित किया गया है?

अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक सम्पन्न निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की अवधि के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन किया। लेखापरीक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के स्तर, यूपीपीसीएल, चारों वितरण कम्पनियों के मुख्यालय, 21 मण्डल कार्यालयों और 66 वितरण खण्डों के

अभिलेख आच्छादित थे, जिसमें 16 जिलों को प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से चुना गया था। डीडीयूजीजेवाई योजना में समाहित 12वीं योजना आरजीजीवीवाई से सम्बन्धित प्रेक्षणों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के वर्ष 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 में सम्मिलित थे।

हमने क्या पाया और हम क्या संस्तुति करते हैं?

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित करने के स्पष्ट अधिदेश के बावजूद, डीपीआर में ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया।

दोनों योजनाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों, यथा समय से परियोजना पूर्ण होना, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी को अग्रिम में अवमुक्त करना, प्राप्त करने पर ऋणों को अनुदान में परिवर्तित का प्रावधान किया गया था। तथापि, परियोजना क्रियान्वयन में 29 से 49 माह का विलम्ब, एटी एण्ड सी हानियों में कमी के लक्ष्य को पूर्ण करने में असमर्थता और मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर अग्रिम राजस्व सब्सिडी का दावा करने में असमर्थता के कारण वितरण कम्पनियाँ कुल ₹ 2,002.61 करोड़ के ऋणों (₹ 4,005.22 करोड़ का 50 प्रतिशत) को अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ नहीं उठा सकीं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा राज्य करों के लिए त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त दावों के कारण वित्तीय विसंगतियाँ हुईं, जिनमें अधिक दावे तथा प्रतिपूर्ति हेतु दावा न करना सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर त्रुटिपूर्वक जीएसटी सम्मिलित किया, जिससे परियोजना लागत ₹ 3.63 करोड़ से बढ़ गई। परिणामस्वरूप, पीवीवीएनएल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से सीजीएसटी अंश के लिए ₹ 1.09 करोड़ (₹ 1.82 करोड़ x 60 प्रतिशत) तथा उ.प्र. सरकार से एसजीएसटी के लिए ₹ 1.81 करोड़ का अधिक दावा किया। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार से समय पर राज्य करों का दावा न करने के कारण पीवीवीएनएल कुल राज्य करों की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका; राज्य करों की प्रतिपूर्ति के मद में उसे उ.प्र. सरकार से ₹ 4.21 करोड़ अभी प्राप्त होना शेष था (दिसम्बर 2023)। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, करों का सटीक आकलन और राज्य सरकार एवं आरईसी से उनका समय पर दावा, सुनिश्चित कर सकतीं हैं।*

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) द्वारा लिए गये ₹ 66 करोड़ के अधिक ऋणों के कारण अगस्त 2021 से जून 2022 की अवधि के लिए ₹ 3.94 करोड़ के परिहार्य ब्याज दायित्वों का वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पीवीवीएनएल द्वारा लागू दर का सत्यापन किए बिना ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप आरईसी को ₹ 7.19 करोड़ के ब्याज का

अधिक भुगतान किया गया। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, अपनी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकतीं हैं तथा अधिक ब्याज भुगतान को रोकने के लिए वित्त-पोषण एजेंसी के साथ स्वीकृत शर्तों का दृढ़ता से पालन कर सकतीं हैं।*

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों में सम्मिलित कार्यक्षेत्र के अनुसार, प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल पिट को ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई की गई मिट्टी के साथ मिश्रित 200 मिलीमीटर के औसत आकार के बोल्डर से भरा जाना चाहिए तथा सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग को एच-बीम तथा ट्यूबलर पोल के समान, डबल पोल, ट्रिपल पोल, कट पॉइंट पोल, डीटी उपकेन्द्र पोल, तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में लगाए गए पोल पर किया जाना चाहिये। तथापि, वितरण कम्पनियों ने सभी पीसीसी पोलों के लिए सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग के कार्य को बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में सम्मिलित किया था। इससे डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत 12.75 लाख एकल पीसीसी पोल (₹ 125.35 करोड़) और सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 11.66 लाख एकल पीसीसी पोल (₹ 277.09 करोड़) के सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग का परिहार्य क्रियान्वयन हुआ।

इसके अतिरिक्त, कार्य प्रदान करने के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, डीपीआर बनाने के लिए स्थापना प्रभार और उपकरण एवं संयंत्र प्रभार को हटाए बिना भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.33 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

डीडीयूजीजेवाई योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग सुनिश्चित करने हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना था। तथापि, फीडरों के पृथक्करण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अप्राप्त था, क्योंकि तीन वितरण कम्पनियों के सात नमूना जिलों में अभी भी 71.22 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता गैर-कृषि फीडरों से जुड़े हुए थे।

टीकेसीज़ के साथ निष्पादित अनुबंधों के नियम एवं शर्तों के अनुसार, विद्युत निरीक्षण लागत अनुबंध मूल्य में सम्मिलित की गई थी। तथापि तीन वितरण कम्पनियों ने टीकेसीज़ को ₹ 9.16 करोड़ की विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात्, दो वितरण कम्पनियों ने ₹ 5.79 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 3.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त, दो वितरण कम्पनियों ने सैग, जम्परिंग और अपव्यय हेतु अस्वीकार्य भुगतान किये, जिसके परिणामस्वरूप टीकेसीज़ को ₹ 1.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत टीकेसीज़ द्वारा निर्गत और दावा किए गए संयोजनों में दोहरापन पाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.65 करोड़

का अधिक भुगतान हुआ। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वितरण कम्पनियाँ, टीकेसीज़ के कार्य के अनुश्रवण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित कर सकतीं हैं, जिससे दोहरे संयोजनों की पहचान की जा सके और टीकेसीज़ को अधिक भुगतान रोका जा सके।*

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) और जिला विकास समन्वय तथा अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठकों की अपर्याप्त संख्या ने नियमित अनुश्रवण और निरीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। *लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि उ.प्र. सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एसएलएससी और दिशा की बैठकें मानदण्डों के अनुसार आयोजित की जाएं, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।*

लेखापरीक्षा द्वारा 16 जिलों के 2,208 लाभार्थियों तथा 224 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक सर्वेक्षण किया गया था। अधिकांश लाभार्थियों ने ऊर्जा मीटर प्राप्त करने, स्थिर विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं तक बेहतर पहुंच, बच्चों के अध्ययन के घंटों में वृद्धि, तथा रात्रि में गतिशीलता एवं सुरक्षा में वृद्धि की पुष्टि की। इसी प्रकार, अधिकांश ग्राम प्रधानों ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता की पुष्टि की और कहा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इनवर्टर्स का कोई उपयोग नहीं होता है। तथापि, कुछ लाभार्थियों ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और एलईडी लैंप न मिलने की सूचना दी।